महत्वपूर्ण

संख्या-01/2458/26-3-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2014**

विषयः सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत देय पेंशन, समाजवादी पेंशन तथा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति व दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया में जनपद स्तर पर दिन प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, समाजवादी पेंशन तथा पूर्वदशम छात्रवृत्ति के कक्षा-9-10 की छात्रवृत्ति व दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषण राज्य मुख्यालय, लखनऊ स्थित जवाहर भवन कोषागार से पी0एफ0एम0एस0(Public Financial Management System) प्रणाली का उपयोग करते हुए लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन(विधवा पेंशन) तथा विकलांग पेंशन के द्वितीय किश्त का भी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से मुख्य सचिव द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1539/26-3-2014-4(215)/90 टी0सी0-1 समाज कल्याण अनु0-3 दिनांक 10.09.2014 के अनुसार किया जाना है। इस संबंध में समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 2243/26-3-2014 दिनांक 25.11.2014 द्वारा जनपद स्तर पर अभिलेखों का कैसे रख-रखाव किया जायेगा, आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों से संबंधित समस्त सूचना अधिकृत अधिकारियों यथा-मुख्य विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से एन0आई0सी0 सर्वर पर अपलोड कराये जाने अथवा सर्वर पर ही सत्यापित करते हुये डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करने की व्यवस्था की गयी है। उसी डाटा के आधार पर राज्य स्तर पर मांग पत्र तैयार कर निदेशालय द्वारा धनराशि का हस्तांतरण एकीकृत प्रणाली (कोषागार, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं पी0एफ0एम0एस0) के माध्यम से किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों के खाते में धनराशि स्थानांतरण के पूर्व उसके बैंक खाते की स्क्रूटनी बैंक पोर्टल से हो रही है और सही खाते में धनराशि का अंतरण बिना किसी विलम्ब के करना संभव हो रहा है।

3- दिनांक 16 दिसंबर, 2014 तक वृद्धावस्था पेंशन के लगभग 35.35 लाख डिजिटली हस्ताक्षरित रिकार्ड में से लगभग 34.03 लाख रिकार्ड की बेनीफिशियरी फाईल बनाकर पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर अपलोड की गयी थी। इनमें से लगभग 17.04 लाख रिकार्ड स्वीकृत किये गये और 13.83 लाख रिकार्ड अस्वीकृत किये गये। स्वीकृत किये गये लाभार्थियों के खाते में इस वित्तीय वर्ष की प्रथम किश्त के रूप में 07 माह की धनराशि (रू0 2100/-) अंतरित कर दी गयी है। इसी प्रकार समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत 7.63 लाख रिकार्ड डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड किये गये थे, जिनमें से उक्त तिथि तक लगभग 5.84 लाख रिकार्ड की बेनीफिशियरी फाईल बनाकर पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर अपलोड की गयी थी। उक्त तिथि तक इनमें से लगभग 2.77 लाख रिकार्ड स्वीकृत किये गये थे और लगभग 1.60 लाख रिकार्ड अस्वीकृत किये गये हैं। अभी तक लगभग 2.26 लाख लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त के रूप में 08 माह की धनराशि(रू0 4000/-) अंतरित कर दी गयी है।

4- रिकार्ड को अस्वीकृत करने के संबंध में निम्नलिखित कारण दर्शाये गये हैं :-

i. बैंक का नाम पी0एफ0एम0एस0 बैंक मास्टर के अनुरूप न होना।
ii. आई0एफ0एस0सी0 कोड त्रुटिपूर्ण होना।
iii. लाभार्थी का बैंक खाता संख्या त्रुटिपूर्ण होना।
iv. डुप्लीकेट खाता संख्या होना।
v. बैंक खाता बंद होना।
vi. खातेदार का पता, नाम आदि बैंक रिकार्ड से भिन्न होना।

अस्वीकृत किये गये रिकार्ड में लगभग 60 प्रतिशत प्रतिशत रिकार्ड प्रथम 02 कारणों से हैं। इस सम्बन्ध में यदि जनपद के लीड बैंक अधिकारी से जनपद में संचालित सभी सी0बी0एस0बैंक शाखाओं का सही नाम, पता व आई0एफ0एस0 कोड प्राप्त कर राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ को प्रेषित कर दिया जाता है, तो इन रिकार्डों को दुरूस्त कर पुनः पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर सत्यापन हेतु अपलोड करना सम्भव हो सकेगा। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता संख्या त्रुटिपूर्ण है, उनके सही बैंक खाता संख्या को पोर्टल पर पुनः अंकित करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जिन मामलों में डुप्लीकेट खाता संख्या होने, बैंक खाता बंद होने व खातेदार का पता नाम आदि बैंक रिकार्ड से भिन्न होने की स्थिति संज्ञान में आयी है, उनमें जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को पुनः लाभार्थी का सत्यापन कराना होगा और संबंधित बैंक शाखा में जाकर भी वस्तुस्थिति की जानकारी करनी होगी। जहां पर इस परीक्षण में लाभार्थी के भौतिक रूप से मौजूद न होने आदि की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल एकीकृत पेंशन पोर्टल में उन लाभार्थियों के नामों को 'डिलीट' करने की आवश्यकता होगी।

5- उल्लेखनीय है कि जो रिकार्ड 'रिजेक्ट' हुए हैं, उनकी जनपदवार सूची निदेशालय के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही है तथा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसे एकीकृत पेंशन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। यह अतिआवश्यक है कि धनराशि के अंतरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण का जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दैनिक अनुश्रवण किया जाये एवं रिजेक्टेड रिकार्ड के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये। उपरोक्त के दृष्टिगत जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतिदिन कम-से-कम दो बार (कार्यालय आते ही प्रातः काल में तथा कार्यालय बंद होने से पूर्व) अनिवार्यतः अपना विभागीय मेल चेक करना सुनिश्चित करें, तथा मेल पर दिये गये दिशा निर्देशों का तत्काल पालन करते हुये यथावश्यक सूचनायें मेल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहें। इसके लिए दो अलग-अलग पोर्टल पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :-

(I) <u>एकीकृत पेंशन पोर्टल</u>-

i. समस्त सामाजिक पेंशन योजनाओं को एकीकृत रूप से प्रदर्शित करने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा एक वेब पोर्टल http://sspy-up.gov.in का विकास किया गया है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन तथा समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों, जिनके बैंक खाते में धनराशि का अंतरण हो गया है, की सूची प्रदर्शित की जा रही है। भविष्य में विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन से संबंधित सूचना भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी अपने जनपद से संबंधित सूचना को अनिवार्य रूप से चेक करेंगे। जिन लाभार्थियों की सूची भुगतान हेतु स्वीकृत की गई है, उसका अपने स्तर से भी परीक्षण कर लें। यदि किसी लाभार्थी का नाम गलत होने के कारण त्रुटिपूर्ण खाते में धनराशि का अन्तरण हो गया हो, तो नाम/खाता शुद्ध कर धनराशि का प्रेषण सही लाभार्थी के बैंक खाते में करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके 'एडिट' करने के लिए पोर्टल पर व्यवस्था कर दी गयी है, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने लागिन/पासवर्ड का प्रयोग करते हुये उसे अद्यतन कर डिजिटल सिग्नेचर से पुनः लॉक करेंगे।

ii. विभिन्न कारणों से 'रिजेक्ट' किये गये लाभार्थियों की सूची भी एकीकृत पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूची का भलिभांति स्क्रूटनी करा लें। जो लाभार्थी मृतक/अपात्र पाए जायेंगे, उनका डाटा पोर्टल पर तत्काल 'स्टाप पेंशन' (Stop Pension) विकल्प से उसको रोक दें।

iii. जिन लाभार्थियों का खाता गलत है, उनका खाता शुद्ध कराकर सही खाता पूर्व की भांति वेब पोर्टल पर अपडेट करेंगे एवं पुनः डिजिटली लाक करेंगे।

iv. निष्क्रिय खातों(Dormant Account) की वजह से जो भुगतान असफल हो गए हैं, उनका जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने स्तर से सत्यापन कर वेब पोर्टल पर अपडेट करेंगे।

v. जिन लाभार्थियों का बैंक खाता बन्द होने के कारण धनराशि प्रेषित नहीं की जा सकी है, उन खातों का तत्काल सत्यापन तथा सम्बन्धित बैंक से के0वाई0सी0 करवा कर सही बैंक खाता संख्या वेब पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे।

vi. मृतक लाभार्थियों का प्रिंट आउट लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में अनुरक्षित रखेंगे एवं तदनुसार वेब पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे।

vii. नये लाभार्थियों के आनलाइन डाटाइन्ट्री हेतु माड्यूल उल्लिखित वेब पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां से नये चयनित लाभार्थियों का विवरण फीड किया जा सकता है।

viii. समस्त लाभार्थियों की सूची(जिनकी धनराशि स्थानांतरित हो चुकी है, या 'ब्लाक' किये गये रिकार्ड) जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में अनुरक्षित रखेगें।

(II) <u>पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल</u>-

i. पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा धनराशि अन्तरण के अनुश्रवण हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल http://cpsms.nic.in पर उपलब्ध है। इस पोर्टल को 'एक्सेस' करने के लिए समस्त समाज कल्याण अधिकारियों को वांछित लागिन/पासवर्ड पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

ii. जिला समाज कल्याण अधिकारी उक्त वेबसाइट का दैनिक रूप से अवलोकन करते रहें।

iii. इस वित्तीय वर्ष से लाभार्थियों से बैंक खाते में धनराशि का अंतरण पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा राज्य स्तर से किया जा रहा है। अतः जिला समाज कल्याण अधिकारी पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लागिन/पासवर्ड से लाभार्थियों की सूचना का परीक्षण कर लें तथा सूचियों का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास अनुरक्षित रखेगें।

iv. उक्त पोर्टल पर धनराशि अन्तरण की सूचना विभिन्न विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थियों की सूचना बैंकवार, श्रेणीवार, योजनावार उपलब्ध है। जिला समाज कल्याण अधिकारी आवश्यकतानुसार समस्त सूचना का भली-भांति अवलोकन करेंगे तथा प्रिंटआउट लेकर अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का व्यक्तिगत रूचि लेते हुये कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, विकलांग जन कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।